न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :- 27/2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गुरूचरण		मांगीलाल वगैराह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

उपस्थिति :- वादी/अप्रार्थी - श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता।
प्रतिवादी/प्रार्थी - श्री भरत शर्मा, श्री गणपत लाल चौधरी, अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक :- 14/10/25

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आधार का पेश किया कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 एवं 53, 92-ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं शाश्वत निषेधाज्ञा का गलत, मिथ्या और भ्रामक कथनों पर पेश किया है, जिसमें प्रतिवादी सं 6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिलाड़ा, जिला जोधपुर और प्रतिवादी सं 7 उप पंजीयन अधिकारी, तहसील कार्यालय बिलाड़ा को पक्षकार मुकदमा बनाया है। वादी ने अपने दावे में मुख्य अनुतोष खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा, रजिस्टर्ड बेचाननामा जो प्रतिवादी सं1 द्वारा प्रतिवादी 5 नाथीदेवी के पक्ष में निष्पादित सन् 2022 को शून्य घोषित करने, (उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयक बिलाड़ा के यहां दिनांक 04-05-02022 को पंजीबद्ध हुआ) और वादग्रस्त भूमि का पंजीयन नहीं करने आदि अनुतोष की प्रार्थना की है। स्पष्ट है कि वादी का केवलमात्र व्यादेश का नहीं है और न ही अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है। वादी के दावे और उसके साथ संलग्न दस्तावेजातों को देखने मात्र से स्पष्ट है कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। बादी को प्रतिवादी सं 6 और प्रतिबादी सं 7 के खिलाफ दावा पेश करने के पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक व बाध्यकारी (मेन्डेटरी) था। दोनों को दो माह का नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी के तहत दिये जाने के बाद ही वादी को वाद हेतुक (कॉ ऑफ एक्शन) पैदा हो सकता था। वादी के दावे को देखने और पढ़ने से स्पष्ट है कि वादी की यह स्वीकृति है कि उसने प्रतिवादी सं0 6 व 7 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है। इस कारण वादी के कोई वाद हेतुक ही पैदा नहीं हुआ और इस कारण वादी का वाद पोषणीय नहीं होने और विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज योग्य है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वादपत्र का नामंजूर किया जाना- वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जायेगा - (क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है, (घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। अतः वादी का वाद पोषणीय (मेन्टेनेबल) नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। भंवरी और रामी ने बाबूलाल और मांगीलाल के हक में एक रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 15-02-2003 को उप पंजीयक बिलाड़ा (जोधपुर) के यहां निष्पादित किया। उक्त हकतर्कनामा ग्राम बिलाड़ा चक नं0 1 की सरहद में खसरा नंबर 3323 रकबा 49

सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बीघा 14 बिस्वा के संबंध में उक्त भूमि में अपना हिस्सा 1/2 के बाबत निष्पादित किया जिसके आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 21-04-2003 को बाबूलाल, मांगीलाल पि मोहनराम कौम लौहार सा देह खातेदार के नाम तहसीलदार (भू.अ.) बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 3323 रकबा 49 बीघा 14 बिस्वा के खातेदार बाबूलाल, मांगीलाल रह गये। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा और नामान्तरकरण की वादी को पूर्ण जानकारी है और रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है और नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील होती है। इस कारण वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं 1 मांगीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 04-05-2022 के अपनी खातेदारी और कब्जासुदा भूमि के खसरा नंबर 4735/3323 रकबा 4.0208 हैक्टेयर भूमि में से पश्चिम तरफ की 0.3236 हैक्टेयर भूमि के खातदारी हकूक नाथी देवी को रूपये 3,60,000/- अक्षरे तीन लाख साठ हजार रूपये में बेचान कर इस पर कब्जा व अधिकार खरीददार नाथी देवी का पूर्णतया करवा दिया था। उक्त विकय विलेख में वादी ने गवाह के तौर अपने हस्ताक्षर और अंगुष्ठ निशान किये है और उसकी फोटो है, जिस पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त विकय विलेख उप पंजीयक बिलाड़ा के यहां दिनांक 04-05-2022 को पंजीबद्ध हुआ। वादी ने उक्त बेचाननामा को बेअसर एवं शून्य घोषित करने की प्रार्थना की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड बेचाननामा को सिर्फ सक्षम सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। माननीय न्यायालय को उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा को बेअसर एवं शून्य घोषित या रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 खसरा सं0 4737/4735 में स्वीकृत नामान्तरकरणः 1657 07/06/2022 बेचान अंकित है जिसे भी चुनौती दिये बगैर वादी का वाद और अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। वादी ने अपने दावे और अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना में इसका गलत रूप से वर्णन किया है। बेचाननामा कतई बेअसर एवं शून्य नहीं है। वादी माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों (क्लीन हैण्ड) से नहीं आया है इसलिये वह माननीय न्यायालय से किसी तरह का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादी ने अपने दावे और अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में और उसके साथ संलग्न शपथ पत्र मे विभिन्न तात्विक विशिष्टियों के संबंध में यह जानते हुये कि यह मिथ्या कथन है और भ्रामक है। वादी ने सुसंगत सही तथ्यों को छिपाकर दावा और अस्थायी प्रार्थना पत्र पेश किया। माफिक आपसी सहमति से किये गये कृषि जोत के बंटवाड़े और तहसीलदार (भू. अ.) बिलाड़ा के आदेश दिनांक 25-02-22 द्वारा की विभाजन का नामान्तरकरण, प्रविष्टि संख्या 1646, दिनांक 08-03-22, सम्वत् तथा ढाल बांछ की कम संख्या रू 2075-2078 भरा गया जिसमें खाता सं 389, खसर सं 3323, क्षेत्रफल 8.0415, मुद्रा वर्गीकरण राजस्व दिये बिना वादी का वाद और अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू विधि के अनुसार वादग्रस्त भूमि कतई पैतृक नहीं है। यदि वादी अपने कथनों में तनिक भी विश्वास करता है तो वादी ने अपने ताऊ जी बाबूलाल

सहायक कलक्टर एवं खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

जी और उनके पुत्र शांतिलाल, अनिल, प्रकाश, सुनील, श्याम और महेन्द्र को पक्षकार मुकदमा कोई नहीं बनाया है। यद्यपि प्रतिवादी संå 1 जिसे स्वीकार नहीं करता है। वादी का वाद असंयोजन ध मिसज्योण्डर पार्टी के आधार पर भी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। वादी, प्रतिवादी सं 2 से 4 का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी तरह का कोई अधिकार, हिस्सा और कब्जा कभी भी न तो था और न है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित, रजिस्टर्ड हकतर्कनामा, रजिस्टर्ड बेचाननामा को, विभिन्न उपरोक्त विभिन्न नामान्तरकरणों और जमाबंदियों को और नामान्तरकरण विभाजन दिनांक 08-03-2022 और उसके आधार पर जमाबंदी में हुये इन्द्राजों को चुनौती दिये बिना आदि उपरोक्त कारणों से वादी का वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण पोषणीय नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही सव्यय खारिज फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का वादी की ओर से जवाब निम्न प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बहुत ही मजबूत आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिसमें वादी के द्वारा भ्रामक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादी ने दस्तावजों के आधार पर अपने वाद में अभिवचन किये है, जो अभिवचन रुपथपत्र के द्वारा समर्थित है। वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष आवश्यक कृक्ति का अनुतोष है, जिसके बारे में वादी ने अपने वाद में अभिवचन किया है। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा पद संख्या 01 में किये गये कथनों के बारे में चायालय तभी न्याय निर्णयन कर सकता है, जब वाद का जवाब पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा न्यायालय श्रीमान के द्वारा वाद व जवाब दावे के आधार पर पत्रावली में विवाद्यक कायम किये जायेंगे तथा साक्ष्य सुनवाई किये जाने के पश्चात न्यायालय श्रीमान पद संख्या 01 में वर्णित प्रतिवादी के कथनों के बारे में न्याय निर्णयन के बारे में राय अभिव्यक्त की जायेगी अथवा न्यायालय श्रीमान पद संख्या 01 में वर्णित कथनों के बारे में प्रारम्भिक विवाद्यक विरचित करते हुए भी पद संख्या 01 के बारे में निर्णय पारित कर सकता है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर वादी के वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पोषणीय है तथा वादी का वाद किसी भी विधि के द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी में नही आता है। प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के विरूद्ध वादी ने किसी प्रकार की घोषणा की इस्तदुआ की मांग नहीं की है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के विरूद्ध घोषणा की इस्तदुआ की मांग की जाती तो वादी को वाद पूर्व दो माह का नोटिस प्रेषित करना आवश्यक होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत यदि वाद आवश्यक प्रकृति का हो तथा सरकार या किसी सार्वजनिक अधिकारी के विरूद्ध घोषणात्मक इस्तदुआ की मांग नहीं की जाती है तो वाद पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है, उसके बावजूद भी वादी के द्वारा अपने वाद में धारा 80

कलक्टर
ड अधिकारी
ारा

सिविल प्रकिया संहिता के बाबत् पद संख्या 02 में इसके बाबत् अभिवचन किया गया है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होने के बारे में अपने वाद के पद संख्या 12 में अभिवचन किया है कि वादकारण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2025 को उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के विरूद्ध वाद पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक नही होने के कारण तथा वादी के द्वारा अनुमति के बाबत् अपने वाद में अभिवचन किये जाने के कारण वादी का वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पोषणीय होने से वादी के द्वारा मौजूदा वाद प्रस्तुत कियाा गया है। प्रतिवादी के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बारे में वर्णित कानून का अधुरा उल्लेख अपने उप-पद में किया है, जिससे न्यायालय को गुमराह किया जा सके। प्रतिवादी के द्वारा आदेश 7 नियम 11 के बारे में कानून की पूर्ण स्थिति प्रकट नहीं की है। प्रतिवादी ने उप-पद में आदेश 7 नियम 11 (क) जहाँ वाद हेतुक प्रकट नही करता है के बारे में उल्लेख किया है, इसके बारे में वादी का यह अभिकथन है कि वादी ने अपने वाद पद संख्या 12 में स्पष्ट रूप से वादकारण के बारे में अभिवचन किया है। सिविल प्रकिया संहिता के तहत बाद हेतुक के बारे में प्रश्न का अभिनिर्धारण जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है, क्योंकि वाद कारण तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसका अवधारण साक्ष्य सुनवाई के पश्चात ही किया जा सकता है। वाद में प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है, जिसके अभाव में वाद कारण के बारे में विवाद्यक विरचित नहीं किया जा सकता है। वादकारण के बारे में न्यायालय श्रीमान प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विरचान कर अन्य विवाद्यक से पूर्व न्याय निर्णय कर सकता है। आदेश नियम 11 (क) के तहत वादी के वाद को वादकारण के अभाव में विवादक विरचित किये तथा साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नही किया जा सकता है। उक्त सिद्धान्त के बारे में कानूनी निर्णय बरवक्त बहस श्रीमानजी को अर्ज किये जायेंगे। प्रतिवादी के द्वारा आदेश 7 नियम 11 (घ) जहा वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है का उल्लेख किया गया है, जिसके संबध में वादी का निवेदन इस प्रकार है कि वादी के द्वारा मोजूदा वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं शाश्वत निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने अभिवचनों में वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने के बारे में उल्लेख किया है तथा वादी ने अपने वादपत्र में हिस्से से अधिक कृषि भूमि का अंतरण जरिये पंजीबद्ध बेचाननामे के किये जाने का भी उल्लेख किया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 को बिना विभाजन किये, जरिये पंजीबद्ध बेचाननामे के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति का अंतरण किया है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रारम्भ से वादी के हित अधिकारों के विरूद्ध होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है। इस प्रकार वादी ने अपने अभिवचनों में कृषि भूमि के बारे में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख को शून्य घोषित किये जाने के बारे में इस्तदुआ की मांग की है। वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207

व तृतीय अनुसूची के अनुसार राजस्व न्यायालय के समक्ष श्रवण किये जाने योग्य है। राजस्व न्यायालय को वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के बाबत् सुनवाई की क्षेत्राकारित होने के कारण वादी का वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष पोषणीय होने के बारे में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है 1. गीता देवी व अन्य बनाम पुष्पचंद व अन्य, 2019 (1) आर.आर.टी पृष्ठ संख्या 43, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त मामले में यह निर्णित किया गया कि षसिविल प्रकिया संहिता, 1908 आदेश 7 नियम 11- विक्रय-पत्र को अकृत व शून्य घोषित करने हेतु वाद-वाद कृषि भूमि से संबधित है तर्क कि वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत बाधित था और यह राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था। प्रार्थना-पत्र खारिज किया-वाद धारा 207 के अन्तर्गत बाधित था-प्रार्थना-पत्र खारिज करने का आदेश दोषपूर्ण है व अपास्त किया तथा राजस्व न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु वादपत्र लौटाने का विचारण न्यायालय को निर्देश दिया। जगदीश सिंह बनाम छोटेलाल, 1973 ल० शुट (राज.), पृष्ठ संख्या 132 राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल द्वितीय अपील संख्या 392/1970 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Tenancy Act 1955- Sec 207&Suit for declaration that sale&deed inb respect of Agr property is ab&intio void&Held] it lies in Revenue Court-"

"The Cause of action is no doubt the factum of sale alleged to be void ab&inition and the real and substantial relief is for possession fo the land and the dwelling house standing thereon- That is the real contest between the parties and that is also the substance of the suit as well as the object of the suit- This relief] it cannot be gainsaid] can be granted only by revenue court and not by the civil court-"

"It cannot be said that the revenue court cannot decide the question whether the sale of the land is void ab&inito-"

राम प्रताप बनाम प्रेमप्रकाश आर.आर.डी, 1990 पृष्ठ संख्या 41, उक्त मामले में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि " Raj- Tenancy Act] Sec 207 & Civil P-C] Sec 9& Releif of partation of ancestral land and delivery of possession of land falling in share of coparcener PTFF can be granted by revenue court relief calaimed being such as can be given by revenue court] suit is tribal by revenue court & partation and sale deeds] eÛecuted in contravention of provisions of the act can be declared void and in operative by revenue court declaration of partation and sale deed as void and in operative is only ancilliary-"

(इ) Civil procedure code order 7 Rule 11(d) Application under Suit held tribal by revenue court&held] rejection of application was correct-

इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि कृषि भूमि के बाबत् निष्पादित बेचाननामा अकृत एवं शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। वादी के द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, जिसके तहत वादी को नकले राजस्व अभिलेखागार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी. उक्त राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने से पद संख्या 03 में वर्णित कथन के बारे में यादी को जानकारी नहीं होने के कारण वादी ने हकर्तकरनामे के बारे में अपने अभिवचनों में उल्लेख नही किया है तथा वादी के द्वारा हकर्तकनामे को राजस्व न्यायालय के समक्ष चुनौती नही दी गई है और ना ही हकर्तकनामे को शून्य अथवा निरस्त किये जाने के बारे में मांग की है। वादी के द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि होने के कारण संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति में घोषणा खातेदारी की मांग की है, जो राजस्व न्यायालय के द्वारा निस्तारित किये जाने योग्य होने के कारण मोजूदा वाद न्यायलय श्रीमान के समक्ष पोषणीय है। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि में से अपने हिस्से से अधिक भूमि का बिना विभाजन किये बेचाननामा प्रतिवादी संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित किया था, जो बेचाननामा वादी के हित अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है, शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 05 को वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत् कानूनी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादग्रस्त कृषि भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादी संख्या 05 के पास ना होकर वादी के पास है, क्योंकि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि के बाबत् बिना विभाजन किये भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द नही किया जा सकता है। विधि की दृष्टि में शून्य दस्तावेज के आधार पर कानूनी हित, अधिकार प्राप्त नही हो सकते। वादी के हस्ताक्षर के बाबत् जो कथन प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा किये गये है, वे कथन गलत रूप से उल्लेखित किये गये है। उक्त कथनों के बारे में साक्ष्य सुनवाई के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है कि विक्रय विलेख में वादी के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान व उसकी फोटो किस कारण से विक्रय विलेख में किये गये है। प्रतिवादी के द्वारा वाद का जवाब प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उपरोक्त तथ्यों का निर्धारण किया जा सकता है कि वादी को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बारे में पूर्व से जानकारी थी तथा पूर्व से जानकारी होने के कारण वादी का वाद शून्य घोषित करवाने का राजस्व न्यायालय के समक्ष पोषणीय है या नहीं। कृषि भूमि के बाबत् बेचाननामे को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, जिसके संबंध में विस्तृत जवाब वादी के द्वारा पूर्व के पदों में दिया जा चुका है। वादी ने राजस्व रेकर्ड की नकलें अभिप्राप्त करने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में वर्णित इन्द्राज के अनुसार अपने वादपत्र में अभिवचन किया है। राजस्व अभिलेखागार के द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां वादी को

उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिलिपियां प्राप्त नही हुई थी, इसलिए वादी को राजस्व रेकर्ड के जरिये जो दस्तावेज प्राप्त हुए थे, उन दस्तावेजों के आधार पर अभिवचन अपने वाद पत्र में किये है। इस प्रकार वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय की शरण में आया है। वर्णित कथन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किये गये है, जिसका निस्तारण दस्तावेजों के बारे में प्रदर्श अंकित किये जाने व साक्ष्य सुनवाई के पश्चात निर्धारण किया जा सकता है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में हिस्सों के बारे में जो कथन उल्लेखित किये है, वे कथन सही रूप से उल्लेखित किये गय है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा भी अपने प्रार्थना-पत्र में 1/2 हिस्सा बाबुलाल का तथा 1/2 हिस्सा मांगीलाल का होने का अभिकथन किया है। इस प्रकार वादी के अभिवचनों व प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में किये गये अभिवचनों से हिस्से में कोई परिवर्तन दर्शित नही होता है। न्यायालय को गुमराह करने के आशय से प्रार्थना-पत्र में तथ्यों का उल्लेख किया गया है तथा अन्य उपपदों में भी दस्तावेजी साक्ष्यों का उल्लेख किया है, जिसके संबंध में न्याय निर्णय साक्ष्य सुनवाई के पश्चात ही किया जा सकता है। वादी के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत् अपने दादा से अपने पिता को प्राप्त संयुक्त हिन्दु परिवार की जायदाद में से अपने हिस्से की घोषणा खातेदारी हेतु मौजूदा वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य सहखातेदार बाबुलाल, शांतिलाल, अनिल, प्रकाश, सुनील, श्याम, महेन्द्र को आवश्यक पक्षकार नही होने के कारण मुकदमे में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित नही किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी अपने मुकदमे में किस व्यक्ति को बतौर मुकदमा पक्षकार संयोजित करे के संबध में ष्डोमिनस लिटिस का सिद्धान्तष में प्रतिपादित किया गया है, जिसके अनुसार वादी ने मुकदमे में आवश्यक पक्षकारों को बतौर प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। पक्षकारों के संयोजन व कुसंयोजन के आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य नही है।

अतः जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 1 द्वितीय में स्थित कृषि भूमि राजस्व जमाबंदी संवत् 2038-41 के अनुसार खसरा नंबर 3323 पूर्व में खातेदार मोहनराम पुत्र हरीराम कौम लौहार सा.देह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2043-46 के खसरा नंबर 3323 में भी पूर्व खातेदार मोहनराम पुत्र हरीराम कौम लौहार सा.देह खातेदार के रूप में नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2047-50 के खसरा नंबर 3323 में भी पूर्व खातेदार मोहनराम पुत्र हरीराम कौम लौहार सा.देह खातेदार के रूप में नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। इसी राजस्व जमाबंदी में नामा.सं. 2688 के जरिये कोर्ट डिक्री

पूरे खाते में मोहनराम पुत्र हरीराम, मांगीलाल, बाबूलाल पिसरान मोहनराम, भवंरी पुत्री मोहनराम, रामी पुत्री मोहनराम लौहार दर्ज किया अंकित है। इसी प्रकार राजस्व जमाबंदी संवत् 2055-58 में खसरा नंबर 3323 में कॉलम सं. 3 में मोहनराम पि. हरीराम जाति लौहार तथा इसी राजस्व जमाबंदी के कॉलम सं. 11 में नामा.सं. 2688 के जरिये मोहनराम पुत्र हरीराम, मांगीलाल, बाबूलाल पिसरान मोहनराम, भवंरी पुत्री मोहनराम, रामी पुत्री मोहनराम लौहार दर्ज किया अंकित है तथा इसी राजस्व जमाबंदी के कॉलम सं. 11 में नामा.सं. 2789 के जरिये मोहनराम के फौत होने पर बाबूलाल, मांगीलाल पिसरान मोहनलाल, भंवरी, रामी पुत्रीयां मोहनराम, आयुचुकी पत्नी मोहनराम का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार इसी राजस्व जमाबंदी के कॉलम सं. 11 में नीचे नामा.सं. 103 व 104 के जरिये बाबूलाल, मांगीलाल पिसरान मोहनराम जाति लोहार सा.देह खातेदार पूरा खाता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इसी प्रकार नामा.सं. 1646 दिनांक 08.03.2022 के अनुसार खसरा नंबर 3323 में खातेदार बाबूलाल पुत्र मोहनराम हिस्सा 1/2 व मांगीलाल पुत्र मोहनराम हिस्सा 1/2 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। इसी नामा.सं. 1646 में आपसी सहमति से खसरा नंबर 3323 का बंटवाडा होने पर खातेदार बाबूलाल पुत्र मोहनराम के खसरा नंबर 4734/3323 के रूप में प्रविष्टि अंकित हुई तथा इसी प्रकार खातेदार मांगीलाल पुत्र मोहनराम के खसरा नंबर 4735/3323 के रूप में प्रविष्टि अंकित हुई। जिसमें वर्तमान खसरा नं. 4737/4735 है। प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल द्वारा खसरा नंबर 4735/3323 रकबा 4.0208 हैक्टयर में से पश्चिम तरफ की 0.3236 हैक्टयर (यानि 02 बीघा भूमि) को खातेदार नाथीदेवी पत्नी राकेश पटेल के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा निष्पादित किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 4736/4735 में क्रेता नाथीदेवी पुत्र राकेश पटेल के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वर्तमान में राजस्व जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खसरा नंबर 4737/4735 में खातेदार मांगीलाल पुत्र मोहनराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में पैतृक संपति के आधार पर अपने हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निवेदन किया कि वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित, रजिस्टर्ड हकतर्कनामा, रजिस्टर्ड बैचाननामा को विभिन्न उपरोक्त विभिन्न नामान्तरकरणों ओर जमाबंदियों को और नामान्तरकरण विभाजन दिनांक 8.3.2022 और उसके आधार पर जमाबंदी में हुये इन्द्राजों को चुनौति दिये बिना आदि उपरोक्त कारणों से वादी का वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण पोषणीय नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही सव्यय खारिज फरमावें।

प्रतिवादी सं. 1 अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। न्यायिक दृष्टान्त ***Angadi Chandranna Vs Shankar & ors 22 April 2025 Civil appeal no- 5401/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि जब एक बार संयुक्त परिवार की संपति का विधिपूर्वक विभाजन हो जाता है तो वह संयुक्त परिवार की संपति नहीं रह जाती और प्रत्येक पक्ष का हिस्सा उसकी स्व-अर्जित संपति बन जाता है।*** उक्त न्यायिक दृष्टान्त वादी के हस्तगत प्रकरण में हुबहु चस्पा होता है

क्योंकि खातेदार मोहनराम पुत्र हरीराम की मौजूदगी में नामा.सं. 2688 के जरिये कोर्ट डिक्री सभी खातेदारों का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुऐ। यह कहना सही है कि पूर्व में उक्त वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा हो चुका है

न्यायिक दृष्टान्त गीतादेवी बनाम पुष्पचन्द वगैरा 2019(1) आर आर टी 43 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में अभिनिर्धारित किया कि *सिविल प्रक्रिया संहिता 1908- आदेश 7 नियम 11- विक्रय पत्र को अकृत व शून्य घोषित करने हेतु वाद- वाद कृषि भूमि से संबंधित है- तर्क कि वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत बाधित था और यह राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था- प्रार्थना पत्र खारिज किया- वाद धारा 207 के अन्तर्गत बाधित था- प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश दोषपूर्ण है व अपास्त किया तथा राजस्व न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु वादपत्र लौटाने का विचारण न्यायालय को निर्देश दिया*। वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण भी कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण उसको सुनने का श्रेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है।

किसी भी राजस्व वाद में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अन्तर्गत अर्जी दावे को खारिज करने का प्रावधान है (1) जिसके अनुसार अर्जी दावा अगर दावे में वाद कारण नही दर्शाया गया है। (2) दावे में चाही गयी दादरसी का मूल्यांकन नही किया गया हो। (3) दावे का मूल्यांकन सही नही किया गया एवं दावा अपूर्ण स्टाम्प पर पेश किया है एवं न्यायालय के आदेश के बावजुद समयावधि में चाहे गये स्टाम्प पेपर पेश नही किये गये हो। (4) दावा अर्जी दावे में लिखे तथ्यों से किसी विधि से बाधित हो।

उपरोक्त प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बताया कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पर वादी ने गवाह के तौर पर अपने हस्ताक्षर और अगुष्ठ निशान किये तथा उसकी फोटो है जिस पर भी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिवादी सं. 1 अधिवक्ता द्वारा फार्म नं. 3 के साथ संलग्न रजिस्टर्ड बैचाननामा का अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल द्वारा क्रेता नाथीदेवी पत्नी राकेश पटेल के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बैचाननामा के पेज नं. 4 पर साख में वादी गुरूचरण पुत्र मांगीलाल जाति लोहार की साख डाली हुई है। तथा इसी रजिस्टर्ड बैचाननामा के पेज सं. 1 के पीछे की तरफ वादी गुरूचरण की फोटो सहित हस्ताक्षर अगुष्ठ निशान लगे हुये है जिससे यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा की वादी गुरूचरण को पूर्ण जानकारी थी। प्रथमदृष्टया वादी को रजिस्टर्ड बैचाननामा की पूर्ण जानकारी थी। खातेदार बाबूलाल व मांगीलाल के मध्य आपसी सहमति से खसरा नंबर 3323 का बंटवाडा किया गया। जिसके पश्चात खसरा नंबर 4734/3323 खातेदार बाबूलाल पुत्र मोहनराम के बंट में तथा खसरा नंबर 4735/3323 खातेदार मांगीलाल पुत्र मोहनराम के बंट में रखी गयी, जिसमें वर्तमान खसरा नं. 4737/4735 है। अतः वादग्रस्त आराजी का पूर्व में बंटवाडा हो जाने के कारण अब वादग्रस्त आराजी पैतृक ना होकर केवल स्वअर्जित मानी जायेगा। अतः

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हुबहु वादी के हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 01 अंतर्गत आदेश- 07, नियम- 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है वादी का वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादी
गुरूचरण	बनाम	मांगीलाल वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,53,188,92ए आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 27/2025 दिनांक :- 14/10/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रजीत गोयल अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री भरत शर्मा, श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 6 व 7 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश- 07, नियम- 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरुद्ध बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, वादी का वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बाबत् –

तीज – मुबालिग – सालाना आज की तारीख में तारीख

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज को जारी की गई।

वसूलयाबी तक –

तारीख मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			हुक्मनामा		
			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा